प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

निर्णय आरक्षित किया गया 28/10/2025

निर्णय पारित किया गया 14/11/2025

दोषमुक्ति अपील संख्या 1007/2024

1 – कुमारिल हिरवानी पिता स्वर्गीय परसराम उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी पुराना बस स्टैंड मेन रोड के पास, डोंगरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

1 – विष्णु सोरेन पिता सावना सोरेन उम्र लगभग 40 वर्ष पुलिस कांस्टेबल बटालियन, निवासी पी.आर.टी. कॉलोनी, फेस 3 महादेव घाट रोड, कबीरधाम अमलेश्वर के सामने, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री खिलेन्द्र साहू, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री अनिल तावडकर, अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल,न्यायाधीश

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(4) के तहत राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (सी.जी.) के माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक अपील संख्या 108/2019 में दिनांक 23.09.2021 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है। दाण्डिक अपील संख्या 108/2019 राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (सी.जी.) के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आपराधिक मामला संख्या 3271/2017 में दिनांक 30.10.2019 को दिए गए निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें उत्तरवादी को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और दंड पारित किया गया था।

2.प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह थे कि परिवादी/अपीलकर्ता कुमारिल हिरवानी ने आरोपी विष्णु सोरेन को अपने बहनोई का पड़ोसी और परिचित बताते हुए परिवाद दर्ज कराई कि आरोपी ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने

के लिए उससे ₹ 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) उधार लिए थे।राशि चुकाने के लिए, आरोपी ने परिवादी को यूको बैंक, नया रायपुर शाखा में अपने खाते से 1,50,000 रुपये का चेक संख्या 022512, दिनांक 05/05/2017 (एक्स.पी–1) उपलब्ध कराया।परिवादी ने भुगतान के लिए चेक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोंगरगांव शाखा में अपने खाते में जमा कर दिया।हालांकि, बैंक से प्राप्त ज्ञापन (प्रदर्शित पी–2, दिनांक 21/06/2017) के अनुसार, खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक भुनाए बिना वापस कर दिया गया था। इसके बाद, परिवादी ने आरोपी को राशि की मांग करते हुए एक विधिक नोटिस (प्रदर्शित पी–3) भेजा, जिसकी पंजीकृत डाक रसीद (प्रदर्शित पी–4) है।अभियुक्त ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे प्रदर्श पी–5 के रूप में एक नोट के साथ लौटा दिया गया।जब अभियुक्त नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहा, तो परिवादी ने 07/09/2017 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज किया गया।विचारण के दौरान, केवल परिवादी ने स्वयं परीक्षण करवाया ।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में, आरोपी ने परिवादी के साक्ष्य को नकार दिया, स्वयं को निर्दोष घोषित किया और अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. दिनांक 30/10/2019 को विचारण न्यायालय , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, (सी.जी.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 3271/2017 "कुमारिल हिरवानी बनाम विष्णु सोरेन" में पारित निर्णय के अनुसार, आरोपी को दोषी ठहराया गया और उसे निम्नानुसार दंड पारित किया गया :–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंड
एन.आई. अधिनियम की धारा 138	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के तहत 6 महीने के साधारण कारावास और अभियुक्त को 1,70,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया गया,क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान न करने पर 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास।

4. सत्र न्यायालय ने विचारण न्यायालय के उपरोक्त दोषसिद्धि और दंड के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय अपीलीय न्यायालय ने यह मानकर घोर त्रुटि की है कि परिवादी ने अपनी परिवाद के समर्थन में किसी भी साक्षीयों की जांच नहीं की थी और यह भी माना कि परिवादी ने न तो उस दिनांक का उल्लेख किया था जिस दिन उक्त चेक अनादृत होकर उसके बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डोंगरगांव को लौटा दिया गया था और न ही परिवादी ने उस तारीख का उल्लेख किया था जिस दिन आरोपी ने परिवादी द्वारा उसे दी गई सूचना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।उन्होंने आगे निवेदन किया कि सत्र न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अभियुक्त ने न तो चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया और न ही चेक जारी करने से।ऐसी परिस्थितियों में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 परिवादी के पक्ष में लागू होती है।इस संबंध में सत्र न्यायालय का निष्कर्ष उचित नहीं है, तथा दोषमुक्त मान्य योग्य नहीं है।अतः, अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उत्तरवादी /आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय ने सभी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उचित आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी और पूरे अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

8. सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त करने का पहला आधार यह था कि परिवादी यह साबित करने में विफल रहा कि प्रश्नगत चेक आरोपी द्वारा उसे किसी ऋण या अन्य दायित्व के भुगतान के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से दिया गया था।

9. विचाराधीन परिवाद में, परिवादी ने स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत किए, जबकि आरोपी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। परिवाद में ऋण की तिथि का उल्लेख नहीं है।आरोपी ने प्रश्नगत चेक पर अपने हस्ताक्षर को चुनौती नहीं दी। अभियुक्त ने यह बचाव नहीं किया कि उसने विवादित चेक (प्रदर्श पी–1) परिवादी के पक्ष में जारी नहीं किया था। इसके बजाय, परिवादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान, बचाव पक्ष ने कहा कि उसने अभियुक्त से 25,000 रुपये ब्याज पर उधार लिए थे, जिसे उसने नकद लौटा दिया था।

10. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 में निम्नानुसार कहा गया है:---

"139. धारक के पक्ष में अवधारणा ।यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, कि चेक धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए प्राप्त किया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यनबालन के मामले में, जिसका उल्लेख (1999) 7 एससीसी 510** में किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब प्रश्नगत चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो धारा 139 के तहत अनुमान उत्पन्न होगा।कंडिका 9 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:---

"9. चूंकि चेक पर हस्ताक्षर आरोपी के ही हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 118 में परिकल्पित अनुमान को विधिक रूप से इस प्रकार निकाला जा सकता है कि चेक उस दिनांक को प्रतिफल के लिए बनाया या आहरित किया गया था जिस दिनांक को चेक पर अंकित है।अधिनियम की धारा 139 न्यायालय को यह अनुमान लगाने का दायित्व देती है कि चेक धारक ने इसे किसी ऋण या दायित्व के भुगतान के लिए प्राप्त किया था। उपरोक्त अनुमान को गलत साबित करने का भार अभियुक्त पर था।विचारण न्यायालय ने डी.डब्ल्यू.–1 की स्वार्थपरक कथन पर इस अनुमान को गलत साबित करने के लिए भरोसा नहीं किया था।इस निर्णय को उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।अब आरोपी के लिए उस पहलू पर अलग तर्क देना संभव नहीं है।"

12 दिल्ली उच्च न्यायालय ने **वी.एस. यादव बनाम रीना के मामले में (2010 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 3294 में प्रकाशित)** कंडिका–8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :---

8. उत्तरवादी ने कृष्णा जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी. हेगड़े, 2008 क्रिमिनल एल.जे. 1172 मामले पर भरोसा जताया है, जिस पर विचारण न्यायालय ने भी भरोसा किया है।इस निर्णय में ही माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि न्यायालय को जमीनी हकीकतों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए और एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन काफी हद तक प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक आधार पर निर्भर करेगा।इस मामले में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि धारा 138 के तहत या किसी अन्य दंड संहिता के तहत वाद का सामना कर रहे प्रत्येक आरोपी, जब अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो दोषी नहीं होने का दावा करता है और कहता है कि उसने अपराध नहीं किया है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां बैंक से ऋण लिया जाता है और बैंक को जारी किए गए चेक अनादृत हो जाते हैं, तो भी यही रुख अपनाया जाता है।केवल दोषी न होने का तर्क देना और यह कहना कि चेक ज़मानत के तौर पर जारी किए गए थे, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत लगाए गए अनुमान को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि धारा 313, सीआर.पी.सी. या धारा 281, सीआर.पी.सी. के तहत आरोपी द्वारा दोषी न होने का तर्क देना ही परिवादी/अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त होता, तो प्रत्येक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया जाता है।परंतु , यह विधि नहीं है।एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को गलत साबित करने के लिए, आरोपी को ठोस साक्ष्य के माध्यम से उन परिस्थितियों को साबित करना होगा जिनके तहत चेक जारी किए गए थे।आरोपी को यह साबित करना था कि यदि कोई ऋण नहीं लिया गया था, तो उसने परिवादी को चेक वापस करने के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा।जब तक अभियुक्त यह सिद्ध नहीं कर देता कि उसने एक सामान्य व्यवसायी/विवेकशील व्यक्ति की तरह संविदा किया है, तब तक वह एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन नहीं कर सकता था। यदि कोई ऋण नहीं दिया गया था, लेकिन चेक रोक लिए गए थे, तो वह तुरंत विरोध करता और चेक वापस करने की मांग करता, और यदि फिर भी चेक वापस नहीं किए जाते, तो वह परिवादी के रूप में नोटिस भेज दिया गया।इस मामले में कुछ भी साबित नहीं हुआ था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार के मामले में (2019) 4 एससीसी 197** में रिपोर्ट किया है, जिसमें धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत अनुमान से संबंधित प्रावधान हैं, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि चूंकि उत्तरवादी सीआरपीसी कि धारा 313 के तहत बयान के बाद साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए यह साबित करने का भार आरोपी/उत्तरवादी पर था कि चेक उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था।इसके अलावा, उत्तरवादी ने धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत अनुमान का खंडन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया, जो चेक धारक के पक्ष में है।

14 उपरोक्त निर्णय के आलोक में, इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आरोपी ने प्रश्नगत चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया।उसने परिवादी से राशि उधार लेने की बात स्वीकार की।अतः, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान परिवादी के पक्ष में बनता है।खंडन का भार अभियुक्त पर है, परन्तु उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।परिवादी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव दिया था कि उसने 25,000 रुपये की उधारी राशि चुका दी है, लेकिन इस भुगतान के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।यदि उसने परिवादी के पक्ष में हस्ताक्षरित चेक जारी किया था तथा यह सुरक्षा के रूप में काम करता था, तो अभियुक्त को 25,000 रुपये की ऋण राशि के पुनर्भुगतान के

साथ हस्ताक्षरित चेक की वापसी की मांग करनी चाहिए थी।हालाँकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने परिवादी से ऐसी कोई मांग की थी।ऐसी परिस्थितियों में, सत्र न्यायालय का निष्कर्ष अस्थिर पाया जाता है।

15 अभियुक्त को दोषमुक्त करने का दूसरा आधार यह था कि बैंक का अनादर ज्ञापन, प्रदर्श पी–2, अप्रकाशित है।हालांकि, प्रदर्श पी–2 के साथ एक पंजीकृत डाक लिफाफा संलग्न है।इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उक्त बैंक मेमो, प्रदर्श पी–2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोंगरगांव शाखा से पंजीकृत डाक द्वारा परिवादी को भेजा गया था।इस पर लगी डाक रसीद के अनुसार, डाक 20 जून, 2017 को भेजी गई थी।नोट के अनुसार, परिवादी को डाक 21 जून, 2017 को प्राप्त हुई थी।परिवादी ने अपने परिवाद और साक्ष्य में यह भी कहा है कि उसे चेक अनादरण ज्ञापन (प्रदर्शित पी–2) 21 जून, 2017 को प्राप्त हुआ था।ऐसे में, बिना तिथि वाला बैंक ज्ञापन (प्रदर्शित पी–2) परिवाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है।

16 अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तीसरा आधार यह था कि पंजीकृत डाक द्वारा अभियुक्त को भेजे गए कानूनी नोटिस (प्रदर्श पी–5) में "स्वीकार करने से इनकार" की तिथि अंकित नहीं है।
17 परिवादी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने अनादर का विधिक नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा था, जिसकी डाक रसीद (प्रदर्श पी–4) है।अभियुक्त द्वारा "स्वीकार करने से इनकार" के उल्लेख के साथ लौटाया गया सीलबंद लिफाफा प्रदर्श पी–5 है।किसी नोटिस या प्रक्रिया को स्वीकार करने से इनकार करना भी उचित तामील माना जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27, डाक द्वारा तामील के संदर्भ में, निम्नानुसार कहती है:–––

"27. डाक द्वारा सेवा का अर्थ।– जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियम किसी दस्तावेज को डाक द्वारा भेजने की अनुमति देता है या अनिवार्य करता है, चाहे "भेजना" शब्द का प्रयोग किया गया हो या "देना" या "भेजना" या किसी अन्य शब्द का, तो जब तक कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, दस्तावेज युक्त पत्र को उचित रूप से संबोधित करके, पूर्व–भुगतान करके और पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर सेवा प्रभावी मानी जाएगी, और जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह उस समय प्रभावी मानी जाएगी जब पत्र डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाता है।"

19. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, प्रदर्श पी–5 में उल्लिखित नोटिस परिवाद में उल्लिखित पंजीकृत पते पर आरोपी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था।परिवादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान, आरोपी ने उपरोक्त पते पर कोई आपत्ति नहीं जताई।अतः, यह मान लिया जाएगा कि आरोपी को नोटिस प्राप्त हो गया था।ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी द्वारा नोटिस स्वीकार करने से इनकार करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।डाक रसीद के अनुसार, नोटिस 21.07.2017 को भेजा गया था।परिवाद 07.09.2017 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अतः, परिवाद समय सीमा के बाद दर्ज की गई थी, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, जिस तिथि को अभियुक्त ने "स्वीकार करने से इनकार किया" वह अप्रासंगिक है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उसने 21.07.2017 से 15 दिनों के भीतर परिवादी को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया था। धारा 138(सी) के तहत, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने के कारण विधिक कार्यवाही

शुरू हुई।अतः, यह न्यायालय पाता है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय उचित नहीं है और इसलिए यह मान्य नहीं है।

20 तदनुसार, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील स्वीकार की जाती है, और सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय को अपास्त कर दिया जाता है।विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के लिए दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है।

21. जहाँ तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंड के संबंध में, 6 महीने की साधारण कारावास का दंड अपास्त कर दी जाती है।हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के तहत क्षतिपूर्ति की राशि रु.1,70,000/– से बढ़ाकर रु.3,00,000/– कर दी जाती है।यदि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त/उत्तरवादी विष्णु सोरेन को छह महीने के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।

22 रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति मूल अभिलेख सहित तुरंत विचारण/अपीलीय न्यायालय को सूचना और अनुपालन के लिए भेजे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur